फाइल संख्या. पी-13013/36/2025-यूडीआईडी/आईटी
भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिनांक: 20 अगस्त 2025

यूडीआईडी पोर्टल का प्रयोग करके यूडीआईडी कार्ड धारक लाभार्थियों को बल्क एसएमएस भेजने की सुविधा का प्रयोग करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया।

1. आवेदक संगठन/व्यक्ति/एनजीओ यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से बल्क एसएमएस भेजने के लिए निम्नलिखित विवरणों के साथ यूडीआईडी अनुभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ईमेल आईडी: anand.51@gov.in, manish.mishra13@nic.in पर एक ईमेल अनुरोध भेजेगा।

   क. संदेश का पाठ: (अंग्रेजी में अधिकतम 160 अक्षर या हिंदी/अन्य भाषाओं में 70 अक्षर, प्रति संदेश कम से कम 2 परिवर्तनीय फ़ील्ड जैसे दिनांक, नाम आदि सहित)
   ख. जिलों/राज्यों के नाम जहां दिव्यांगजनों को संदेश भेजा जाएगा:
   ग. दिव्यांगजन प्राप्तकर्ताओं की आयु सीमा:
   घ. प्राप्तकर्ता की दिव्यांगता का प्रकार:
   ङ. दिव्यांगजन प्राप्तकर्ता की दिव्यांगता प्रतिशत की सीमा:
   च. संदेश जो केवल कोई विशिष्ट जेंडर के लिए है: (कृपया बताएं)
   छ. केवल यूडीआईडी सृजित मामलों को संदेश भेजें अथवा लंबित मामलों को भी शामिल करें:
   ज. आधार ई-केवाईसी पूर्ण आवेदक को ही भेजें या सभी को भेजें:
   झ. अनुरोधकर्ता संगठन/व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी:

2. यूडीआईडी प्रकोष्ठ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग डाटाबेस में उपलब्ध फोन नंबरों के आधार पर ऐसे लाभार्थियों की संख्या की जांच करेगा (यूडीआईडी प्रकोष्ठ आवेदक द्वारा घोषित मोबाइल नंबरों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है) और भारतकोश पोर्टल के माध्यम से भारत की संचित निधि (सीएफआई) में भुगतान करने के लिए आवेदक संगठन को ईमेल द्वारा लागत की जानकारी देगा।

मनीष

3. आवेदक संगठन/व्यक्ति/एनजीओ भारतकोश पोर्टल पर निम्नलिखित माध्यम से भुगतान करेगा:

(i) अपंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में भारतकोश पोर्टल पर लॉगिन करें
(ii) मंत्रालय का नाम चुनें: सामाजिक न्याय और अधिकारिता
(iii) खोज (search) बटन दबाएँ
(iv) उद्देश्य चुनें - "चालू वित्तीय वर्ष (सिपडा-जीआईए-सामान्य) से संबंधित अप्रयुक्त जीआईए शेष राशि जमा करना"
(v) भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करके डीईपीडब्ल्यूडी को ईमेल करें

4. यूडीआईडी अनुभाग, डीएलटी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, बल्क एसएमएस भेजेगा। इसमें 2 दिन का समय लग सकता है।
5. बल्क एसएमएस भेजने के बाद, आवेदक संगठन को निम्नलिखित विवरणों के साथ एक पुष्टिकरण संदेश भेजा जाएगा:

क. बल्क एसएमएस भेजने की तिथि:
ख. लाभार्थियों की संख्या जिन्हें एसएमएस प्राप्त हुआ:
ग. लाभार्थियों की संख्या जिनके लिए बल्क एसएमएस किसी कारणवश विफल रहा।

6. डेटाबेस में दिए गए गलत फोन नंबर के कारण विफल एसएमएस के लिए आवेदक संगठन द्वारा कोई रिफंड का दावा नहीं किया जाएगा, हालांकि अमान्य फोन नंबरों की प्रविष्टि को रोकने के लिए पोर्टल में कुछ प्रतिबंध हैं।

(मनीष कुमार मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार